

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कांकरोली

- प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री छितरमल जोशी
2. श्री छितरमल जोशी पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जोशी, प्लॉट नं0 39ए, सोमनाथ चौराहा के पास, बालाजी नगर, कांकरोली, राजसमन्द

-ऋणी

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सिव्क्यूटरीजेशन

पत्रावली संख्या 41/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर प्रार्थी तथा सूचनाए जारी की गई
	<p>दिनांक 23.09.2019</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने दिनांक: 19.08.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कांकरोली द्वारा श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री छितरमल जोशी व श्री छितरमल जोशी पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जोशी, प्लॉट नं0 39ए, सोमनाथ चौराहा के पास, बालाजी नगर, कांकरोली, राजसमन्द को दिनांक 27.02.2013 को राशि रूपये 8,62,000/- का ऋण/सुविधा स्वीकृति किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- बंधक अचल सम्पत्तियों :- 1. रिहायशी मकान प्लॉट नं0 39 ए, सोमनाथ चौराहा के पास, बालाजी नगर, कांकरोली, राजसमन्द में स्थित हैं जो कि श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री छितरमल जोशी के नाम से है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट हैं। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/सहऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भूगतान में चुक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय हैं। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी खातों को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 01.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 02.05.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 7,39,345/- अक्षरे सात लाख उन्नचालीस हजार तीन सौ पैतालीस मात्र दिनांक 13.01.2019 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। बंधक अचल सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है, का पता निम्न है-बंधक अचल सम्पत्ति:- रिहायशी मकान प्लॉट नं0 39 ए, सोमनाथ चौराहा के पास, बालाजी नगर, कांकरोली, राजसमन्द में स्थित हैं जो कि श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री छितरमल जोशी के नाम से है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">M</p>



हैं। उक्त अचल सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता है विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं है।


प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 02.05.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीद एवं पोस्ट आफिस की डिलेवरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कांकरोली द्वारा द्वारा श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री छितरमल जोशी व श्री छितरमल जोशी पुत्र श्री लक्ष्मीलाल जोशी, प्लॉट नं0 39ए, सोमनाथ चौराहा के पास, बालाजी नगर, कांकरोली, राजसमन्द को दिनांक 27.02.2013 को राशि रुपये 8,62,000/- का ऋण/सुविधा स्वीकृति किया था उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि रुपये 7,39,345/- अक्षरे सात लाख उन्नचालीस हजार तीन सौ पैतालीस मात्र दिनांक 13.01.2019 तक वसूल करना है। ऋणी/जमानतदार ने अचल सम्पत्ति:- दृष्टिबंधक, स्टॉक सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित सृजित किया है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कांकरोली के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित की जाकर प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कांकरोली जिला राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

